न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
88 / 2019	03.07.2019	23.02.2021

अनवान

1. प्यार चंद पिता नन्दा जाति खारोल निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पिता गोकल जाति ब्राहाम्ण निवासी पाण्डोली तहसील कपासन
2. छगन लाल पिता भेरा जाति नाई निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन
3. लेहरू पिता नारायण जाति जाट निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन
4. लक्ष्मीनारायण पिता जगदीश लाल जाति ब्राहाम्ण निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन
5. मुकेश पिता जगदीश लाल जाति ब्राहाम्ण निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन
6. शंकर पिता मोहन लाल जाति ब्राहाम्ण निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन
7. दिनेश पिता नन्द लाल जोशी निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन
8. पन्ना लाल पिता नन्दलाल जोशी जाति ब्राहाम्ण निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन
9. भैरू लाल पिता उदा जाति जाट निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन
10. राधाकिशन पिता जमना लाल जाति ब्राहाम्ण निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन
11. काशीराम पिता डाल चंद जाति ब्राहाम्ण निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन
12. मांगी लाल पिता जमना लाल जाति ब्राहाम्ण निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह पंवार — प्रार्थी

एक तरफा — अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:39:43 IST
Reason: SelfAttested

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 314 में अभिलिखित आराजीयात

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी संख्या 2154, 2161, 2167 व खाता संख्या 174 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2156, 2157 कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और शेष अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.02.2021 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। इस पर हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 314 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2154, 2161, 2167 व खाता संख्या 174 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2156, 2157 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को [illegible] करे। पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:39:43 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official